मध्यप्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद

(पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अधीन पंजीकृत संस्था)

नर्मदा भवन, द्वितीय तल, 'सी-विंग', 59, अरेरा हिल्स, भोपाल

क्र./5881/NREGS-MP/स्था./NR-2/10 भोपाल, भोपाल, दिनांक 09.06.2010

प्रति,

1. **कलेक्टर/जिला कार्यक्रम समन्वयक,**
2. **मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत/अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक जिला/जिला पंचायत बड़वानी, बैतूल, छतरपुर, धार, डिण्डोरी, झाबुआ, खण्डवा, खरगौन, मण्डला, सतना, सिवनी, शहडोल, श्योपुर, सीधी, टीकमगढ़, उमरिया, गुना, अशोकनगर, दतिया, देवास, बुरहानपुर, राजगढ़, हरदा, दमोह, पन्ना, कटनी, छिंदवाड़ा, रीवा, अनूपपुर, रतलाम, मंदसौर, सागर एवं नरसिंहपुर मध्यप्रदेश**

विषयः **महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम-म.प्र. के अंतर्गत जिला स्तर से कैम्पस प्रकिया के माध्यम से उपयंत्रियों के चयन विषयक।**

संदर्भः **(1.)म.प्र. शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के पत्र क्र. 13616/एनआरईजीएस-एमपी-/स्था./एनआर-2/ 09 दिनांक 31.10. 2009**
(2) परिषद का पत्र क्र. 967 दिनांक 2.3.2010

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम-म.प्र. के अंतर्गत प्रत्येक जनपद पंचायत स्तर पर उपयंत्रियों के पद सृजित किये गये हैं। योजनान्तर्गत आवेदक को निर्धारित समय-सीमा में रोजगार मूलक कार्य उपलब्ध कराने के लिये राज्य शासन द्वारा समय-समय पर निर्देश जारी किये जाते रहें है कि प्रत्येक ग्राम पंचायत में कम से कम पॉच समुदाय मूलक तथा 25 हितग्राही मूलक कार्य प्रगतिरत रहें। वर्तमान में ग्रांमीण सम्पर्क सड़क योजना तथा बुदेंलखण्ड प्रोजक्ट के कियान्वयन के प्रारंभ होने के कारण रोजगार मूलक कार्यो की संख्या में वृद्धि हो रही है। परिषद द्वारा लगातार यह प्रयास किये जा रहें है कि प्रत्येक जिलें में कार्य के अनुरुप पर्याप्त संख्यां में उपयंत्रियों की उपलब्धता सुनिश्चित हो सके। इसी संबंध में, संदर्भित पत्र द्वारा संविदा पर उपयंत्रियों के चयन एवं नियुक्ति के अधिकार जिला कार्यक्रम समन्वयक को प्रत्यायोजित किये गये है।

परिषद मुख्यालय ने यह निर्णय भी लिया हैं कि यदि जिला प्रशासन को विज्ञापन के माध्यम से भी उपयंत्री प्राप्त नहीं हो तो विभिन्न इंजीनियरिंग/पॉलिटेक्निक कॉलेज से कैम्पस इन्टरव्यू के माध्यम से अभ्यर्थियों का चयन किया जावे।

कैम्पस इन्टरव्यू के माध्यम से चयन हेतु निम्न मापदण्डों का उपयोग अनिवार्यतः किया जावे :-

1. **कार्यक्षेत्र-** कैम्पस प्रकिया के माध्यम से चयनित उपयंत्रियों का कार्यक्षेत्र जनपद पंचायत स्तर तक सीमित होगा। जिला पंचायत/जनपद पंचायत के निर्देशानुसार उपयंत्री को आवंटित

ग्राम पंचायत के क्लस्टर की जिम्मेदारी सौंपी जावेगी। ग्राम पंचायत के क्लस्टर में परिवर्तन करने हेतु जनपद पंचायत की अनुशंसा पर जिला पंचायत अधिकृत होगी।

2. **आरक्षण–** परिषद मुख्यालय ने राज्य स्तर के आरक्षण रोस्टर के अनुसार विभिन्न जिलों के लिये वर्गवार पद संख्या सुनिश्चित की है। यदि विज्ञापन के माध्यम से अभ्यर्थी उपलब्ध न हो अथवा प्रतीक्षा सूची में कोई अभ्यर्थी शेष नहीं हो तो जिस वर्ग के लिये पद रिक्त हो, उसी वर्ग के अभ्यर्थी के चयन हेतु कैम्पस इन्टरव्यू किया जावेगा। रिक्त पदों के लिये महिलाओं, विकलांगों आदि के संबंध में म.प्र. शासन के नियम निर्देशों के अनुसार क्षैतिज (Horizontal) आरक्षण लागू होगा।

3. **आयु–** दिनांक 01.07.2010 को आवेदक की आयु 21 वर्ष कम तथा 35 वर्ष से अधिक नही होनी चाहिए।

4. **शैक्षणिक योग्यता–**

4.1 सिविल इंजीनियरिंग में डिग्री अथवा डिप्लोमा।

4.2 अन्य अर्हता– एनसीसी/खेलकूद/कम्प्यूटर संचालन का ज्ञान रखने वाले आवेदको को अतिरिक्त अंक दिये जावेगे।

5. **साक्षात्कार समिति का गठन–** प्रत्येक जिले में साक्षात्कार समिति का गठन जिला कार्यक्रम समन्वयक द्वारा किया जावेगा जिनमे निम्न सदस्य होंगे :–

अध्यक्ष – अति. जिला कार्यक्रम समन्वयक/मुख्य कार्यक्रम अधिकारी, जिला पंचायत

सदस्य – जिला कार्यक्रम समन्वयक द्वारा नामांकित अधिकारी जो डिप्टी कलेक्टर से अन्यून पद का नहीं हो।

सदस्य– कार्यपालन यंत्री, ग्रा.या.से. या परियोजना अधिकारी (तकनीकी, एनआरईजीएस) या कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग या कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग

सदस्य – इंजीनियरिंग/पॉलिटेक्निक कॉलेज के प्रिंसिपल अथवा सिविल इंजीनियरिंग शाखा के विभागाध्यक्ष।

समिति मे अनुसूचित जाति/जनजाति के एक सदस्य होना अनिवार्य है। यदि उपरोक्त में से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति का सदस्य नहीं है तो जिला कार्यक्रम समन्वयक द्वारा उक्त वर्ग का एक अधिकारी नामांकित किया जावेगा।

6. **चयन की प्रकिया :–**

6.1 जिला कार्यक्रम समन्वयक द्वारा जिले में विभिन्न वर्गों के रिक्त पदों के संबंध में प्रदेश के इंजीनियरिंग/पॉलिटेक्निक कॉलेज से संपर्क किया जावेगा।सम्पर्क उपरांत लगभग 15–20 दिवस के बाद से कैम्पस इन्टरव्यू प्रारंभ किये जावेगे।

6.2 कैम्पस इण्टरव्यू की प्रकिया तभी प्रारंभ की जावेगी जब जिले द्वारा जारी विज्ञापन के माध्यन से अभ्यर्थी उपलब्ध न हो अथवा प्रतीक्षा सूची में कोई भी अभ्यर्थी शेष नहीं हो।

6.3 जिले में जिस आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी की आवश्यकता होगी, उसी वर्ग के अभ्यर्थी के चयन हेतु कार्यवाही की जावेगी।

6.4 प्रदेश के विभिन्न इंजीनियरिंग/पॉलिटेक्निक कॉलेज से सम्पर्क करने एवं चयन की प्रकिया की कार्यवाही जिला कार्यकम अधिकारी के द्वारा की जावेगी।

6.5 अभ्यर्थियों का चयन अंकसूची तथा साक्षात्कार के आधार पर किया जावेगा। न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता के 60 प्रतिशत अंक, अन्य शैक्षणिक योग्यता के अतिरिक्त 30 प्रतिशत अंक तथा साक्षात्कार के 10 प्रतिशत अंक सहित कुल 100 अंक होंगे। अंको का वितरण निम्नानुसार होगा :– 45 प्रतिशत से कम अंक हेतु – 15 अंक

45% या अधिक परन्तु 50% से कम अंक हेतु :–25 अंक

50% या अधिक परन्तु 55% से कम अंक हेतु :–35 अंक

55% या अधिक परन्तु 60% से कम अंक हेतु :–45 अंक

60% या अधिक अंक हेतु :– 55 अंक

- सिविल इंजीनियरिंग में डिग्री होने पर अतिरिक्त अंक – 5 अंक।
- अतिरिक्त शैक्षणिक योग्यता – 30 अंक।

एनसीसी	"ए" सर्टिफिकेट	02
	"बी" सर्टिफिकेट	03
	"सी" सर्टिफिकेट या उच्च स्तर	05
खेलकूद	राज्य स्तर पर भाग लेने पर	04
	राष्ट्र स्तर पर भाग लेने पर	06
कम्प्यूटर	Diploma from all university Recognized by UGC./All Open University/DOEACC Level/Modern office Management from Govt. Polyrechnice college.	10

6.7 साक्षात्कार हेतु एक पद के विरुद्ध तीन अभ्यर्थियों को ही आमंत्रित किया जावे।

6.8 समान वर्ग में एक समान अंक प्राप्त होने पर अधिक आयु के अभ्यर्थी को वरियता दी जावेगी।

7. **मासिक संविदा पारिश्रमिक :–**

7.1 संविदा उपयंत्रियों को वेतनमान रू. 5,000–8,000 एवं राज्य शासन द्वारा समय–समय पर स्वीकृति महगाई भत्ता के योग के बराबर राशि के रूप में मासिक संविदा पारिश्रमिक देय

होगा। इसके अतिरिक्त कोई अन्य वेतन भत्ते देय नहीं होंगे। म.प्र. राज्य रोजगार गारंटी परिषद के अंतर्गत सशक्त समिति संविदा मानदेय में वृद्धि कर सकेगी।

7.2 पदस्थ संविदा उपयंत्री का नियमानुसार ईपीफ कटोत्रा किया जावेगा तथा नियोक्ता द्वारा अंशदान किया जावेगा।

7.3 संवदि उपयंत्री को परिषद द्वारा जारी समय–समय पर निर्देशानुसार यात्रा भत्ते की पात्रता होगी।

7.4 संविदा उपयंत्री का कार्य संतोषजनक नहीं पाये जाने पर जिला कार्यक्रम समन्वयक द्वारा संविदा शर्तो के अनुसार सेवा समाप्त की जा सकेगी।

8. **संविदा शर्ते–** संलग्न संविदा शर्तो के अनुसार अनुबंध एवं बाण्ड की कार्यवाही की जावेगी। चयनित अभ्यार्थियों को संविदा सेवा शर्तो के अधीन दो वर्ष हेतु अनुबंध किया जाकर संविदा नियुक्ति का आदेश जिला कार्यकम समन्वयक, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना द्वारा जारी किया जावेगा। दो वर्ष उपरांत संतोषजनक काय्र पाये जाने पर संविदा अवधि पुनः एक वर्ष हेतु बढ़ाई जा सकेगी। यदि वह संविदा नियुक्ति काल पूरा होने के पूर्व पद से त्यागपत्र देक अन्यत्र कोई पद ग्रहण करता हैं, तो वह उतनी अवधि का जितनी की सेवा शेष है (अधिकतम 03 माह तथा न्यूनतम एक माह की राशि) उक्त बाण्ड में उल्लेखित धन राशि में से वसूली योग्य होगी/जमा कराना होगी।

9. **प्रशिक्षण :–** उपयंत्रियों के रूप में चयनित अभ्यार्थियों को परिषद द्वारा जारी समय–समय पर निर्देशानुसार प्रशिक्षण लेना अनिवार्य होगा।

10. **वित्तीय व्यवस्था :–** उपयंत्री (संविदा) का वेतन यात्रा भत्ता, प्रशिक्षण इत्यादि पर होने वाला व्यय महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम–म.प्र. के 6 प्रतिशत प्रशासनिक व्यय के अंतर्गत विकलनीय होगा।

11. **वार्षिक मूल्यांकन पत्रक :–** प्रारंभिक टीप – मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत द्वारा परीक्षण टीप – सहायक यंत्री (एनआरईजीएस/ग्रा.या.से.) द्वारा एवं अंतिम निर्णय – जिला कार्यक्रम समन्वयक, एनआरईजीएस का होगा।

8/6/10
(शिव शेखर शुक्ला)
मुख्य कार्यपालन अधिकारी
म.प्र. राज्य रोजगार गारंटी परिषद
भोपाल

पृ.क्र./5882/NREGS-MP/स्था./NR-2/10 भोपाल,
भोपाल, दिनांक 09.06.2010

प्रतिलिपि,

समस्त संभाग आयुक्त की ओर सादर सूचनार्थ।

9/6/10
मुख्य कार्यपालन अधिकारी
म.प्र. राज्य रोजगार गारंटी परिषद
भोपाल

उपयंत्री (संविदा) पद हेतु
आवेदन पत्र का प्रारूप

स्वयं द्वारा सत्यापित आवेदक का नवीन फोटो चस्पा करें

1. पद नाम ....
2. आवेदक का नाम..
3. आवेदक के पिता/पति का नाम..
4. आवेदक का वर्तमान पता..
5. आवेदक का स्थाई पता ....
6. दूरभाष कमांक ....
7. मोबाइल नं. ....
8. (अ) जन्म तिथि– (अंको में)..

   (शब्दों में)..

   (ब) 1 जनवरी 2010 को आयु– दिन ....माह...........वर्ष............
9. जाति ....

   वर्ग : अनु.जाति/अनु. जनजाति/पिछड़ा वर्ग /विकलांग/ भूतपूर्व सैनिक, (प्रमाण पत्र सहित)
10. शारीरिक निशक्तता हॉ/नहीं। यदि हाँ, तो दृष्टिबाधित/अस्थिबाधित/ मूकबधिर का प्रमाण–पत्र संलग्न करें।
11. क्या म.प्र. के स्थायी निवासी है :– हां/नहीं। यदि हां, तो गृह जिले का नाम ....

12 **शैक्षणिक योग्यता**

क्र.	उत्तीर्ण परीक्षा का नाम	बोर्ड/वि.वि.	उत्तीर्ण करने/अनुभव का वर्ष	प्राप्तांक/पूर्णांक	श्रेणी
1.	माध्यमिक शिक्षा मंडल (10+2) /हाईस्कूल				
2	सिविल इंजीनियरिंग में डिग्री अथवा डिप्लोमा				
3	अन्य 1. अतिरिक्त शैक्षणिक योग्यता 2. कम्प्यूटर 3. एन.सी.सी. 4. खेलकूद				

13 कार्य अनुभव/रोजगार का विस्तृत विवरणः

क्र.	कब से	कब तक	कंपनी	विभाग	संस्था	धारित पद	कार्य का विवरण	अंतिम वेतन

14. ऐसे दो व्यक्तियों का नाम/पता/टेलीफोन न. जो आपके रिश्तेदार नहीं हो तथा जो आपके बार में आपके द्वारा दी गई जानकारी को सत्यापित कर सके। (अ)..(ब)...........
....

घोषणा

मैं एतद् द्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि इस आवेदन पत्र में मेरे द्वारा दी गई जानकारी पूर्णतः सत्य है। जानकारी असत्य पाये जाने पर मेरा आवेदन निरस्त कर वैधानिक कार्यवाही करने के पूर्ण अधिकार जिला कार्यक्रम समन्वयक को होंगे।

दिनाँक................
स्थान................

हस्ताक्षर

संलग्नः– (कृपया सामने वाले खाने में √ का निशान लगाये)

(1) शैक्षणिक योग्यता का प्रमाण–पत्र स्वयं द्वारा हस्ताक्षरित । ☐
(2) सिविल इंजीनियरिंग में डिग्री अथवा डिप्लोमा संबंधी प्रमाण–पत्र। ☐
(3) अतिरिक्त शैक्षणिक योग्यता। ☐
(4) जाति प्रमाण–पत्र की प्रतिलिपि। ☐
(5) कम्प्यूटर प्रशिक्षण प्राप्त प्रमाण–पत्र की प्रतिलिपि। ☐
(6) एन.सी.सी. प्रमाण पत्र। ☐
(7) खेलकूद प्रमाण पत्र। ☐

संविदा नियुक्ति की सेवा शर्तें निम्नानुसार रहेगी :–

1. मध्यप्रदेश शासन द्वारा समय–समय पर संविदा नियुक्ति के संबंध में जारी आदेश/ संशोधन इस नियुक्ति पर भी लागू/बंधनकारी होंगे।

2. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को मूलवेतन के साथ मंहगाई भत्ता जोड़कर संविदा पारिश्रमिक देय होगा। इसके अतिरिक्त कोई अन्य भत्ते देय नहीं होंगे।

3. संविदा के अन्तर्गत नियुक्त व्यक्ति की नियुक्ति केवल विशिष्ट स्थान के लिए होगी। संविदा में नियुक्त व्यक्ति का संविदा अवधि में अन्यत्र स्थानान्तरण नहीं किया जायेगा।

4. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति मध्यप्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम–1965 और उसमें किये गये अद्यतन संशोधनों द्वारा शासित होगा।

5. संविदा की कालावधि नियुक्ति तिथि से 2 वर्ष के लिए रहेगी।

6. संविदा नियुक्त अधिकारी/कर्मचारी को कार्यभार ग्रहण करते समय सक्षम अधिकारी का शैक्षणिक योग्यता, अनुभव प्रमाण पत्र, स्थाई निवासी प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र संबंधी मूल अभिलेख एवं दो फोटो प्रस्तुतं करना होगें।

7. संविदा नियुक्त अधिकारी/कर्मचारी को कार्यभार ग्रहण करते समय जिला मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी सक्षम अधिकारी का स्वास्थ्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

8. संविदा पर नियुक्त उम्मीदवार नियुक्ति प्राधिकारी के साथ रुपये 50/– का नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर करार निष्पादित करेगा (करार के निष्पादन पर होने वाले समस्त व्यय चयनित उम्मीदवार द्वारा वहन किये जायेगें)। इस नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर के साथ ही साथ चयनित उम्मीदवारों को उसकी 03 माह के वेतन की धनराशि के समतुल्य राशि का बाण्ड भी भरकर कार्य पर उपस्थित होने के 7 दिन के भीतर संबंधित नियुक्ति प्राधिकारी को प्रस्तुत करना होगा। इस बाण्ड के आधार पर उम्मीदवार को शासन को यह गारंटी देनी होगी कि यदि वह संविदा नियुक्ति काल पूरा होने के पूर्व पद से त्यागपत्र देकर अन्यत्र कोई पद ग्रहण करता हैं, तो वह उक्त बाण्ड में उल्लेखित धन राशि का देनदार होगा।

9. संविदा पर नियुक्त उम्मीदवारों का चरित्र सत्यापन शासकीय सेवकों को लागू नियमों या अनुदेशों के आधार पर किया जायेगा। चरित्र के संबंध में किसी प्रतिकूल निष्कर्ष कि दशा में नियुक्त अधिकारी द्वारा की गई नियुक्ति, बिना कोई कारण बताये रद्द कर दी जायेगी।

10. दो (2) वर्ष की संविदा अवधि पूर्ण होने के उपरांत कार्य कुशलता एवं किये गये कार्य के मूल्यांकन के आधार पर यदि आवश्यक हुआ तो आगामी वर्ष के लिए संविदा नियुक्ति बढ़ाने पर विचार किया जा सकेगा।

11. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को नियमानुसार एक वर्ष में 13 दिवस के आकस्मिक अवकाश तथा 15 दिन के चिकित्सा अवकाश की पात्रता होगी।

12. संविदा नियुक्ति आदेश दिनांक से 10 दिवस की अवधि में कार्यभार ग्रहण करना होगा अनिवार्य होगा अन्यथा नियुक्ति आदेश निरस्त माना जाएगा।

13. संविदा पर नियुक्त अधिकारी को आधारभूत एवं जॉब से संबंधित प्रशिक्षण में अनिवार्यतः भाग लेना होगा। प्रशिक्षण अवधि में आयोजित परीक्षा में उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा। प्रशिक्षण अवधि में आयोजित परीक्षा में उत्तीर्ण नही होने पर संविदा सेवा समाप्त की जावेगी।

14. **संविदा पर नियुक्त व्यक्ति के कदाचार या किसी आपराधिक कियाकलाप में संलिप्त पाये जाने पर नियुक्ति प्राधिकारी उसे सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात् ऐसी संविदा नियुक्ति समाप्त कर सकेगा।**

15. **संविदा पर नियुक्त अधिकारी/कर्मचारी को समय-समय पर सौंपे गये अन्य समस्त कार्यालयीन कार्य भी सम्पादित करने होंगे।**

16. कार्यालय में संविदा सेवा अवधि के दौरान अन्य किसी भी प्रकार के संस्थानों/ कार्यालयों में कार्य करने अथवा व्यक्तिगत तौर पर किसी भी प्रकार के व्यापार करने पर प्रतिबंध रहेगा।

17. संविदा पर नियुक्त अभ्यार्थी सक्षम अधिकारी की पूर्वानुमति/निर्देश के कोई भी सूचना /जानकारी किसी अन्य व्यक्ति अथवा अन्य विभाग को किसी भी माध्यम से नही देगा तथा कार्यालयीन गोपनीयता भंग नही करेगा।

18. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को यात्रा भत्ते की सुविधा शासन के नियमानुसार देय होगी।

19. दो वर्ष सफलतापूर्वक सेवा पूर्ण करने के बाद संविदा पर नियुक्त अधिकारी/कर्मचारी की सेवाएं नियोजक/नियोक्ता के एक माह के पूर्व नोटिस के आधार पर अथवा एक माह का पारिश्रमिक नगद जमा/भुगतान कर समाप्त हो सकेंगी।

20. चयनित उम्मीदवार, उसकी पदस्थापना के स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से संविदा में माना जावेगा, यदि संविदा पर नियुक्त कोई व्यक्ति बिना किसी विशिष्ट कारण और बिना किसी सूचना के अपने कर्तव्य से 01 माह से अधिक के लिए अनुपस्थित रहता हैं, तो बिना कारण बताऐं नियुक्ति रद्द कर दी जावेंगी।

21. संविदा नियुक्ति के आधार पर नियुक्त कोई भी उम्मीदवार संविदा कालावधि के लिए किन्हीं पेंशन संबंधी सुविधाओं का हकदार नहीं होगा तथा न ही उसे ऐसी कालावधि के लिए कोई बोनस आदि की पात्रता होगी ।

22. संविदा पर नियुक्ति अधिकारी/कर्मचारी भविष्य में नियमितीकरण संबंधी कोई दावा नहीं कर सकेगा।

23. किसी भी विवाद की स्थिति में मध्यप्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद् का निर्णय अंतिम एवं बंधनकारी होगा।

कार्यालय राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना
जिला कार्यक्रम अधिकारी / जिला ....

क्र. / /एनआरईजीएस/10 दिनांक

: : आदेश : :

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम–म.प्र. अंतर्गत उपयंत्री के पद हेतु दिनांक .... को केम्पस इंटरव्यू के माध्यम से चयनित कर उनके नाम के सम्मुख में दर्शाये गये स्थान पर पदस्थ किया जाता है :–

क्र0	उम्मीदवार का नाम	विभाग	पदस्थापना का स्थान
1			....

उपरोक्त उम्मीदवार का दिनांक .... (7 दिवस की अवधि) के पूर्व कार्यालय कलेक्टर .... के कार्यालय में पदभार ग्रहण करना होगा।

संविदा शर्ते :–

संविदा नियुक्ति की सेवा शर्तें निम्नानुसार रहेगी :–

1. मध्यप्रदेश शासन द्वारा समय–समय पर संविदा नियुक्ति के संबंध में जारी आदेश/ संशोधन इस नियुक्ति पर भी लागू/बंधनकारी होंगे।
2. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को मूलवेतन के साथ मंहगाई भत्ता जोड़कर संविदा पारिश्रमिक देय होगा। इसके अतिरिक्त कोई अन्य भत्ते देय नहीं होंगे।
3. संविदा के अन्तर्गत नियुक्त व्यक्ति की नियुक्ति केवल विशिष्ट स्थान के लिए होगी। संविदा में नियुक्त व्यक्ति का संविदा अवधि में अन्यत्र स्थानान्तरण नहीं किया जायेगा।
4. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति मध्यप्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम–1965 और उसमें किये गये अद्यतन संशोधनों द्वारा शासित होगा।
5. संविदा की कालावधि नियुक्ति तिथि से 2 वर्ष के लिए रहेगी।
6. संविदा नियुक्त अधिकारी/कर्मचारी को कार्यभार ग्रहण करते समय सक्षम अधिकारी को शैक्षणिक योग्यता, अनुभव प्रमाण पत्र, स्थाई निवासी प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र संबंधी मूल अभिलेख एवं दो फोटो प्रस्तुत करना होगें।
7. संविदा नियुक्त अधिकारी/कर्मचारी को कार्यभार ग्रहण करते समय जिला मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी सक्षम अधिकारी का स्वास्थ्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
8. संविदा पर नियुक्त उम्मीदवार नियुक्ति प्राधिकारी के साथ रुपये 50/– का नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर करार निष्पादित करेगा (करार के निष्पादन पर होने वाले समस्त व्यय चयनित उम्मीदवार द्वारा वहन किये जायेगें)। इस नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर के साथ ही साथ चयनित उम्मीदवारों को उसकी 03 माह के वेतन की धनराशि के समतुल्य राशि का बाण्ड भी भरकर कार्य पर उपस्थित होने के 7 दिन के भीतर संबंधित नियुक्ति प्राधिकारी को

प्रस्तुत करना होगा। इस बाण्ड के आधार पर उम्मीदवार को शासन को यह गारंटी देनी होगी कि यदि वह संविदा नियुक्ति काल पूरा होने के पूर्व पद से त्यागपत्र देकर अन्यत्र कोई पद ग्रहण करता हैं, तो वह उक्त बाण्ड में उल्लेखित धन राशि का देनदार होगा।

9. संविदा पर नियुक्त उम्मीदवारों का चरित्र सत्यापन शासकीय सेवकों को लागू नियमों या अनुदेशों के आधार पर किया जायेगा। चरित्र के संबंध में किसी प्रतिकूल निष्कर्ष कि दशा में नियुक्त अधिकारी द्वारा की गई नियुक्ति, बिना कोई कारण बताये रद्द कर दी जायेगी।

10. दो (2) वर्ष की संविदा अवधि पूर्ण होने के उपरांत कार्य कुशलता एवं किये गये कार्य के मूल्यांकन के आधार पर यदि आवश्यक हुआ तो आगामी वर्ष के लिए संविदा नियुक्ति बढ़ाने पर विचार किया जा सकेगा।

11. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को नियमानुसार एक वर्ष में 13 दिवस के आकस्मिक अवकाश तथा 15 दिन के चिकित्सा अवकाश की पात्रता होगी।

12. संविदा नियुक्ति आदेश दिनांक से 10 दिवस की अवधि में कार्यभार ग्रहण करना होगा अनिवार्य होगा अन्यथा नियुक्ति आदेश निरस्त माना जाएगा।

13. संविदा पर नियुक्त अधिकारी को आधारभूत एवं जॉब से संबंधित प्रशिक्षण में अनिवार्यतः भाग लेना होगा। प्रशिक्षण अवधि में आयोजित परीक्षा में उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा। प्रशिक्षण अवधि में आयोजित परीक्षा में उत्तीर्ण नही होने पर संविदा सेवा समाप्त की जावेगी।

14. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति के कदाचार या किसी आपराधिक कियाकलाप में संलिप्त पाये जाने पर नियुक्ति प्राधिकारी उसे सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात् ऐसी संविदा नियुक्ति समाप्त कर सकेगा।

15. संविदा पर नियुक्त अधिकारी/कर्मचारी को समय-समय पर सौंपे गये अन्य समस्त कार्यालयीन कार्य भी सम्पादित करने होंगे।

16. कार्यालय में संविदा सेवा अवधि के दौरान अन्य किसी भी प्रकार के संस्थानों/ कार्यालयों में कार्य करने अथवा व्यक्तिगत तौर पर किसी भी प्रकार के व्यापार करने पर प्रतिबंध रहेगा।

17. संविदा पर नियुक्त अभ्यार्थी सक्षम अधिकारी की पूर्वानुमति/निर्देश के कोई भी सूचना /जानकारी किसी अन्य व्यक्ति अथवा अन्य विभाग को किसी भी माध्यम से नही देगा तथा कार्यालयीन गोपनीयता भंग नही करेगा।

18. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को यात्रा भत्ते की सुविधा शासन के नियमानुसार देय होगी।

19. दो वर्ष सफलतापूर्वक सेवा पूर्ण करने के बाद संविदा पर नियुक्त अधिकारी/कर्मचारी की सेवाएं नियोजक/नियोक्ता के एक माह के पूर्व नोटिस के आधार पर अथवा एक माह का पारिश्रमिक नगद जमा/भुगतान कर समाप्त हो सकेंगी।

20. चयनित उम्मीदवार, उसकी पदस्थापना के स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से संविदा में माना जावेगा, यदि संविदा पर नियुक्त कोई व्यक्ति बिना किसी विशिष्ट कारण और बिना किसी सूचना के अपने कर्तव्य से 01 माह से अधिक के लिए अनुपस्थित रहता हैं, तो बिना कारण बताएं नियुक्ति रद्द कर दी जावेंगी।

21. संविदा नियुक्ति के आधार पर नियुक्त कोई भी उम्मीदवार संविदा कालावधि के लिए किन्हीं पेंशन संबंधी सुविधाओं का हकदार नहीं होगा तथा न ही उसे ऐसी कालावधि के लिए कोई बोनस आदि की पात्रता होगी ।

22. संविदा पर नियुक्ति अधिकारी/कर्मचारी भविष्य में नियमितीकरण संबंधी कोई दावा नहीं कर सकेगा।

23. किसी भी विवाद की स्थिति में मध्यप्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद् का निर्णय अंतिम एवं बंधनकारी होगा।

जिला कार्यक्रम समन्वयक
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना
जिला ....

पृ.क्र./ /एनआरईजीएस/10 दिनांक.

प्रतिलिपि :–

1. कमिश्नर संभाग .... की ओर सूचनार्थ।
2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, म.प्र.राज्य रोजगार गारंटी परिषद, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
3. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत .... की ओर सूचनार्थ।
4. मुख्य कार्यपालन अधिकारी/कार्यक्रम अधिकारी, जनपद पंचायत .... की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
5. सबंधित .... की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।

जिला कार्यक्रम समन्वयक
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना
जिला ....